/

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 207 / 2022

1 मनसुख पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र गीदाराम।
2 शीशपाल पुत्र गीदाराम।
3 सीताराम पुत्र रामेश्वर।
4 हरलाल पुत्र रामेश्वर।
5 जगमाल पुत्र रामेश्वर।
6 हरिराम पुत्र रामेश्वर।
7 बजरंगलाल पुत्र रामेश्वर।
8 पप्पु उर्फ रघुवीर पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 सुमन पुत्री रामेश्वर।
10 छोटी पुत्री रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण कस्बा की ढ़ाणी तन जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
12 अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड हाथी भाटा अजमेर जरिये अध्यक्ष।
13 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

Sd/-

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू दावा उनवानी मनसुख बनाम बनवारी वगैरह दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 47/2022 निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 08.12.22

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सिगोदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 08/2/24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 47/2022 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे वादी अपीलांट द्वारा ग्राम मझाऊ तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 31,32,33,297,307,427,428,431,10,34,38/1,443/34 बाबत घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। दौराने सुनवाई उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामें के आधार पर दिनांक 19.06.2018 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गई है। इसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 35/2021 प्रस्तुत की गई थी। जो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.08.2022 से स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया था। इसके उपरांत विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अदालत हाजा द्वारा अपील उनवानी मनसुख बनाम बनवारी वगैरह अपील संख्या 35/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है। तहसीलदार महोदय ने विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में नहीं बनाये। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विभाजन प्रस्ताव आपति को अस्वीकार करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 428 एवं 427 पर काबिज है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट को मौके पर उपस्थित गलत रूप से बताया है इसी कारण उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में यह दर्ज है कि 'मौके पर खाता विभाजन हेतु समसाईस की गई किन्तु सहमति नही बन सकी।' इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 428 में से जानबुझकर रेस्पोडेन्टस को जमीन दी गई है और भौतिक कब्जे में व्यधान किया गया है। अदालत हाजा ने अदालत मातहत को तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया था परन्तु अदालत मातहत ने नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव को सही मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी गलती की है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजुद विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार उदयपुरवाटी के नेतृत्व में तैयार नहीं हुये है। इस तथ्य की ताईद तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक/भू. अभिलेख/2022/3858 दिनांकित 06.12.2022 से होती है। विभाजन प्रस्ताव पर मोहर तहसीलदार (भूअभिलेख) की लगाई हुई है और हस्ताक्षर तहसीलदार के है। इन तमाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

तथ्यों से यह साबित है कि अदालत हाजा के अपील में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2022 की बिना पालना करवाये अदालत मातहत ने निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विभाजन प्रस्ताव पर यह अंकन है कि भूमि की किस्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नियम 20 (डी) नियम 1955 में यह प्रावधान है कि जहां तक संभव हो मौजुदा खेत के टुकड़े नहीं किये जाये और नियम 20 (ई) में यह व्यवस्था है कि सहखातेदार के हिस्से में अधिक भूमि आने की सूरत में ही खेत के टुकड़े किये जायें वरना काबिज खेत काबिज खातेदार को ही दिया जावें। उक्त नियम 18 से 21 के नियम आदेशात्मक है। अपीलान्ट को विभाजन में खेत खसरा नम्बर 10 में से 0.32 हैक्टेयर भूमि दी गई जिस पर अपीलान्ट का कब्जा ही नहीं है। दावा में विवादित भूमि का कुल रकबा 9.94 हैक्टेयर है जिसमें अपीलान्ट के हिस्से में 2.48 हैक्टेयर भूमि आती है। अपीलान्ट का जमीन खसरा नम्बर 427 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 428 रकबा 2.31 हैक्टेयर कुल 2.36 हैक्टेयर भूमि पर भौतिक कब्जा काश्त है और विभाजन में अपीलांट को उपरोक्त जमीन ही देनी चाहिये थी। इस प्रकार अदालत मातहत ने एकपक्षीय रूप से तैयार अवैध व शुन्य विभाजन प्रस्ताव को सही मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी विचारण न्यायालय द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनुं)

निर्णय पारित किया गया। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में एवं इस न्यायालय के निर्देशों की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव से पूर्व अपीलांट को नोटिस भी जारी किया गया है। विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपील न्यायालय के निर्देशों की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी विचारण न्यायालय द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमे कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08/2/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर